

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांक: सं०सं०-230/बी०एन०आर०सी०/2019/19.19/BNRC स्वास्थ्य, पटना, दिनांक 20-09-22

दीपक राज सेवा संगम, भमुआ, कैमुर द्वारा संचालित माँ मुण्डेश्वरी पारामेडिकल एण्ड

ए०एन०एम० ट्रेनिंग संस्थान, भमुआ, कैमुर के अन्तर्गत ए०एन०एम० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक 4229/बी०एन०आर०सी०, दिनांक 22.12.2021 के द्वारा डा० विपिन कुमार(संविदा), अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों पर शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता का अवधि विस्तार किया जाता है।

2-यह अवधि विस्तार जिला पदाधिकारी, कैमूर से प्राप्त होने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

3-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह/०-

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकसं०सं०-230/बी०एन०आर०सी०/2019/19.19/BNRC पटना, दिनांक 20-09-22

प्रतिलिपि :- सचिव, माँ मुण्डेश्वरी पारामेडिकल एण्ड ए०एन०एम० ट्रेनिंग संस्थान, भमुआ, कैमुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, स्वा०विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20.9.22

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

AK

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

आ0सं0-6/एन0-08-51/2010-.....

/पटना, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-465(6), दिनांक-09.06.2011 द्वारा माँ मुण्डेश्वरी पारामेडिकल एण्ड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान, भभुआ, कैमुर-821101 को 50 सीटों पर नामांकन के साथ ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई थी।

पुनः संस्थान द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1225(6), दिनांक-27.07.2023 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के निरीक्षणोपरान्त अध्यक्ष डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के द्वारा पत्रांक-258/अ0नि0को0, दिनांक-06.10.2023 के माध्यम से समर्पित संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त दीपक राज सेवा संगम, वार्ड नं0-5, भभुआ, कैमुर द्वारा संचालित माँ मुण्डेश्वरी पारामेडिकल एण्ड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान, भभुआ, कैमुर-821101 में ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु 50 (पचास) सीटों से बढ़ाकर 100 (एक सौ) सीटों पर नामांकन क्षमता के साथ नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(iii) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ मान्यता प्रदान किया जाता है:-

- (क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमुर समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एव समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त कर लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमुर तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमुर को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शैलेश कुमार)

उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6/एन0-08-51/2010-.....¹⁴⁴⁽⁶⁾

पटना दिनांक 12/01/2024

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0-2, कम्प्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज-01, नई दिल्ली-110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, कैमुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-निदेशक, माँ मुण्डेश्वरी पारामेडिकल एण्ड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान, भभुआ, कैमुर-821101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

३



बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)

बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)

फोन नंबर: 0612-2215001

ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com



सं०सं० 01/बी.एन.आर.सी./2024 / 137/BNRC दिनांक. 29/01/2024

--: सहमति पत्र :-

प्रेषक,

श्रीमती निर्जला कुमारी
निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

सचिव,
मौं मुण्डेश्वरी पारामेडिकल एण्ड नर्सिंग ट्रेनिंग संस्थान, मधुआ, कैमुर-821101

विषय :-

सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :-

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक 144(6), दिनांक-12.01.2024.

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक MPM/00/63, दिनांक 13.01.2024 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 144(6), दिनांक-12.01.2024 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम में 50(पचास) सीटों से वृद्धि करते हुए 100(एक सौ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक-1-6/LT/2023-INC, Dated 31-10-2023 के आलोक में सत्र-2023-24 के नामांकन कि तिथि 31.11.2023 निर्धारित थी।

2-आपके संस्थान को ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम को इस शर्त के साथ एक सत्र(2023-24) के लिए सहमति प्रदान कि जाती है कि भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के Guidelines के अनुसार अक्टुबर-2024 के लिए आयोजित परीक्षा के पूर्व छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण नियमानुसार 11(ग्यारह) माह की उपस्थिति आनिवार्य है।

अतः विभागीय आदेश ज्ञापांक-144(6), दिनांक-12.01.2024 के द्वारा आपके संस्थान को निर्गत मान्यता के आलोक में एक सत्र (2023-24) का सहमति उपरोक्त शर्त के साथ प्रदान किया जाता है।

3-यह आदेश आपके संस्थान को दी गई मान्यता कि तिथि से प्रभावी होगा।

4-उपरोक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(निर्जला कुमारी)

निबंधक

ज्ञापांक-सं०सं०-01/बी.एन.आर.सी./2024/137/स्वा0, पटना, दिनांक 29/01/2024

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)-सह-अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।


निबंधक

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 13/02/2024

अ.सं.-संब0-6032(पार्ट-I)/2023-136/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से औपबंधिक संबद्धता प्राप्त निम्नांकित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा नामांकन क्षमता में वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों पर तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-09.02.2024 को सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 7 में अंकित बढी हुई नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	विद्यालय/संस्थान	पता	प्रकार	पुरुष	महिला	कुल	दिनांक	प्रारंभिक	अंतिम
1	Taluka Institute of Nursing	Madhubani	GNM	45	55	100	24.11.23	140(6) / 12.01.24	88 / 25.01.24
2	Nutan College of Nursing	Siwan	GNM	60	40	100	24.11.23	151 (6) / 12.01.24	150 / 29.01.24
3	Nutan College of Nursing	Sitamarhi	GNM	60	40	100	24.11.23	150 (6) / 12.01.24	151 / 29.01.24
4	Subhwanti Institute of Education	Siwan	GNM	60	40	100	31.10.23	152 (6) / 12.01.24	154 / 29.01.24
5	S. K. Global School of Health Sciences	Muzaffarpur	ANM	60	40	100	10.11.23	171 (6) / 15.01.24	124 / 29.01.24
6	Katihar ANM Nursing Training School	Katihar	ANM	60	40	100	31.10.23	213(6) / 22.01.24	161 / 30.01.24
7	Katihar ANM Nursing Training School	Katihar	GNM	60	40	100	31.10.23	203(6) / 19.01.24	160 / 30.01.24
8	Maa Mundeshwari Para Medical & Nursing Training Sansthan	Kaimur	ANM	50	50	100	31.10.23	144(6) / 12.01.24	13 / 29.01.24

नियम एवं शर्तों:-

1. औपबधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत शर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र-2023-24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र-2023-24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।
4. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. सभी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
7. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
8. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा मांग किए जाने पर जमा करेंगे।
9. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अधिक रूप से समर्पित कर देंगे।
10. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जांच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को आधिक निरीक्षण किया जा सकता है।
11. महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
12. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/विनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
13. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का शुल्क/शुल्क सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार



(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं0-6032(पार्ट-I)/2023-.....136...../ पटना, दिनांक13/02/2024.....

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, बिहार का सूचनार्थ प्रेषित।



कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032(पार्ट-I)/2023-.....136...../ पटना, दिनांक 13/02/2024

प्रतिलिपि-प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

वि.उ.सी.ए.
13/2/2024

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032(पार्ट-I)/2023-.....136...../ पटना, दिनांक 13/02/2024

प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(नर्सिंग)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/ कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.उ.सी.ए.
13/2/2024

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

